

Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 3) Bill, 1967, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st December, 1967, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

- (ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 4) Bill, 1967, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st December, 1967, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
- (iii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Manipur Appropriation Bill, 1967, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st December, 1967, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
- (iv) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Haryana Appropriation Bill, 1967, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st December, 1967, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this

House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

- (v) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Indian Tariff (Amendment) Bill, 1967, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st December, 1967, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
- (vi) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd December, 1967, agreed without any amendment to the Official Languages (Amendment) Bill, 1967, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 16th December, 1967."

17.47 hrs.

HARYANA STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL —Contd.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : Mr. Chairman, I have listened attentively to the speeches from the Congress benches and some members from the opposition. While my hon. friend Shri Shrichand Goel of the Jan Sangh ably argued why this power should not be delegated to the President, I am sorry to note that no Congress member advanced any argument, at least any convincing argument, in favour of passing this Bill.

One of the previous speakers here spoke about the merger of Haryana either with UP or Delhi. I am not going to enter into that controversy. It is the will of the people and it should be

[Shri G. Viswanathan]

left to the people of Haryana to decide whether they will remain separately or they will merge with some other State.

Nobody will welcome President's Rule in any State, because President's Rule is the complete negation of democracy.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ : It is not against democracy. It is provided in the Constitution.

SHRI AMRIT NAHATA : You wanted President's Rule in Bengal yesterday ?

SHRI RANDHIR SINGH : But yesterday is not today.

SHRI G. VISWANATHAN : Where the Assembly is dissolved, the peoples' verdict is also dissolved. It is the case generally, but I take Haryana as a special case. I shed no tears over the dismissal of the Rao Birendra Singh Ministry. My hon. friend, Shri Randhir Singh spoke about the valiant soldiers and heroic farmers. I congratulate them. But, at the same time, according to Professor Sharma, Haryana has become notorious. It has not only become notorious, it has become the motherland of defectors and the birthplace of turncoats. For that we have to condemn, not the people but the elected representatives of Haryana. They have made the whole of democracy a mockery.

For that what is the remedy ? Is it the passing of the Bill ? Is the passing of the Bill going to remedy the situation in Haryana ? Certainly not. Even Shri Chakravarty, the Governor of Haryana, has suggested that President's Rule shall be "for a spell of a brief period" to quote his own words. So, the mid-term poll should be there as soon as possible, as early as possible. If the Congress benches are going to agree to the suggestion of the Governor, that there should be mid-term election as early as possible, what is the necessity of this Bill ? If there is going to be election very soon, then there is no necessity for this Bill.

The Bill provides for consultative or advisory committees. We know how the advisory committee is going to function. We have the experience of an advisory committee in Kerala. The Law Minister knows that much better. It was not at all functioning well. It was not at all effective in its working. It was often complained in this House that nobody took serious notice of the consultative committee on Kerala and the decisions of that committee were not implemented by the bureaucrats. Even though Shri Randhir Singh happens to be a Congress member, I agree with him when he speaks at length of the feelings of the people there. The people of Haryana should not be left at the mercy of the bureaucrats. Election should be held as early as possible and there must be an elected government in Haryana.

This Bill says :

"Provided that before enacting any such Act the President shall, whenever he considers it practicable to do so, consult the Committee."

The President may not think it practicable and may not consult it at all. They have put the word "shall" but after putting the word "shall" they have said, "whenever he considers it practicable". These words should be deleted. The President must be obliged to consult the Committee and it must be made mandatory. So, I request the Minister, even if this Bill is passed, that they must delete the words "whenever he considers it practicable to do so", so that the President will be obliged to consult the Committee before enacting any Act.

Here, the Swatantra and the Jana Sangh on the one side and the Congress on the other challenge each other. I have no axe to grind in Haryana. We do not have branches of the DMK in Haryana. So, I am neutral as far as Haryana is concerned. But both of them are anxious to fight the election. That I can understand. So, let us have a trial of strength; let us face the battle

of the ballot as early as possible. Even the Congress people are agreed on that point. So, the whole House is agreeable to an election as early as possible and there is no necessity for this Bill at all. That is my opinion.

MR. CHAIRMAN : Shri Sheo Narain.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : Today being the last day much time should be given to Shri Sheo Narain.

श्री शिवनारायण (बस्ती) : सभापति महोदय, हरियाणा वह स्थान है, जिसने हम को गीता दी, जो भगवान कृष्ण की तपोभूमि रहा है। मैं आज गोयल साहब और चौधरी रणधीर सिंह से कहना चाहता हूँ कि अपने पुराने इतिहास को मत भूलो, अपने बाप-दादाओं की कमाई को मत भूलो, लेकिन मैं शशि भूषण का अनुगृहीत हूँ—वहाँ हरिजनों के साथ अभी भी जुल्मो-सितम हो रहा है। लेकिन सभापति महोदय, हम आशावान हैं, निराशावान नहीं हैं। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ और हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जल्द से जल्द चुनाव हों और जितने डिफ़रेंस हैं उनको अच्छा सबक सिखाया जाय, चाहे वे कांग्रेसवाले हों या नान-कांग्रेसवाले हों। मैं वहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ कि उनमें से किसी को असेम्बली में रिटर्न न करो, तभी हरियाणा की जबरदस्त इज्जत होगी।

मैं वहाँ के गवर्नर को जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसने अपने अधिकार का सही मायनों में, सही ढंग से इस्तेमाल किया—आयारामों और गयाारामों को उसने चेक किया—उसके लिये मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। मैं होम मिनिस्टर साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी नजर हरियाणा पर होनी चाहिये—यह हिन्दुस्तान के सन 1967 के इलेक्शन का टैस्ट है—हम तो 20 साल में जाकर करप्ट हुए लेकिन ये लोग तो 6 महीने में ही करप्ट हो

गये, 6 महीने में ही इतर-बितर हो गये। गोयल साहब जरा ठण्डे दिल से सोचो, क्यों दिल्ली के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आज जहाँ जाओ—रिक्शावाले, मोटरवाले कहते हैं—हाय, हाय, तोबा तोबा। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, जिनका वे लोग इस्तेमाल करते हैं।

प्रो० शेर सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जरा वहाँ के टीचर्स का ध्यान करो। आप भी टीचर रहे हैं और मैं भी टीचर रहा हूँ, आपको उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिये। उन अध्यापकों की मांगों को इग्नोर करके, तुम हरियाणा में कृष्ण पैदा नहीं कर सकते, तुम उस गीता के पंडित पैदा नहीं कर सकते, अगर उनको सुखी नहीं बनाया, अगर उनको खाना, कपड़ा और रहने को मकान नहीं दिया। तुमको भी गुरु द्रोणाचार्य हरियाणा में मिल सकते हैं, यदि इन अध्यापकों की कठिनाइयों को दूर करो। इस लिये मैं प्रोफेसर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि आप इस तरह विशेष रूप से ध्यान दें।

मैं चौधरी रणधीर सिंह की तरह से कमजोर नहीं हूँ। मैं ओपन चैलेन्ज देता हूँ—गोयल साहब को, कल हो जायें चुनाव हरियाणा में, हम आपको हरायेंगे.....

श्री श्रीबन्ध गोयल : हमें आपका चैलेन्ज मन्जूर है, आप हरियाणा में चुनाव तो कराओ।

श्री शिवनारायण : हरियाणा की जनता इन आयारामों और गयाारामों को छोटने की तैयारी कर रही है। जैसा मेरे मित्र ने कहा—वहाँ की जनता दुखी है, वहाँ का किसान दुखी है—मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इन आई० सी० एस० वालों से निजात दिलाओ, इस साहबी ठाठ ने ही हमारी कबर खोदी है। सारे देश में इन लोगों ने बड़ी तैयारी की थी—जनसंघ

से मिल गये, कम्प्यूनिस्टों से मिल गये, सरकारों को बदलने की कोशिश की। मुझ से एक अफसर ने कहा—तेरा राज कब लौटनेवाला है उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा।—अच्छा काका, तुम ने तो हमारे खिलाफ़ खूब ठप्पा लगवाया था, अब भोगो बेटे। मैं अपने मेरठवाले जवान मित्र से कहना चाहता हूँ कि 26 पेज की मेरी स्पीच थी और हमारे कमला पति जी की स्पीच थी, उन्होंने कहा था कि हम सत्तू खा कर रहेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश को बंटने नहीं देंगे। मैंने कहा था कि जब तक पं० पंत जिन्दा हैं, हमारा सूबा बंट नहीं सकता.....

एक माननीय सदस्य : श्री चरण सिंह बांटना चाहते हैं.....

श्री शिवनारायण : चरण सिंह क्या है, दुई कौड़ी के, पता चल जायगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि 45 मेम्बरों की जो यह समिति बनाई जा रही है—इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गोयल साहब, जरा इसके कांस्टीचूशनल प्वाइन्ट को समझो। मैं भी ला का स्टूडेंट हूँ, जरा खिलवाड़ न कीजिये। इससे बढ़िया काम गवर्नमेन्ट क्या कर सकती है। फिलहाल सलाह देने के लिये 30 लोक सभा के और 15 राज्य सभा के सदस्यों की यह जो कमेटी बनाई जा रही है, ये सारे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और क्रीम आफ़ बी सोसायटी हैं, बैस्ट जीनियस हैं—उनसे गवर्नमेन्ट ने सलाह लेना शुरू किया है। जिस किस्म की हुल्लड़बाजी ये लोग करते हैं, कम से कम वैसी हुल्लड़बाजी तो नहीं होगी।

सभापति महोदय, डा० ईश्वरी प्रसाद मेरे प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि तुम बड़े भाग्यवान हो, जो तुम पार्लियामेन्ट के मेम्बर चुने गये हो, तुम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो। इस लिये मैं कहना चाहता हूँ कि जिन 45 आदमियों को सरकार ने नोमिनेट किया है, यह कोई अनुचित बात

नहीं है, यह बहुत मुनासिब है और इसमें होम मिनिस्टर साहब की सिन्सीयरिटी दिखाई देती है। उन्होंने एक को डिप्टेटर नहीं बनाया है, सिर्फ़ गवर्नर के ही हाथ में शासन नहीं दिया है। कौन कहता है कि तुम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां हाथ जोड़े खड़े रहो, इन 45 मेम्बरों या होम मिनिस्टर साहब को अपनी दिक्कत बताओ। हरियाणा के किसानों के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। मैं चाहता हूँ कि सरकार उनके लिये पानी का प्रबन्ध करे, उन को खाना, कपड़ा और मकान दे, उनको पैदावार की हर तरह की सुविधायें दे। आज हम विदेशों में भीख मांगने जाते हैं, बाउल ले कर अमरीका जाते हैं, रूस जाते हैं, लेकिन मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ:—

पानी राखो पात्र में, बिन पानी सब चून, पानी गये न ऊबरे, मोती मानस, चून। इन शब्दों के साथ मैं अपील करना चाहता हूँ कि वहां पर खेती के लिये उचित प्रबन्ध करो, हरियाणा को हर प्रकार की सुविधा दो, क्योंकि वह हमारा प्रोटेक्टर है।

जिस दिन यहां पर हरियाणा और पंजाब के विभाजन का फैसला हुआ था—उस दिन यह समझा गया था कि यह एक अच्छा डिजिज़न हुआ है, लेकिन एक छोटा काम हुआ, अच्छा काम नहीं हुआ। मैं हरियाणा और पंजाब दोनों से अपील करना चाहता हूँ कि दोनों गले मिल कर एक हो जाओ, ताकि 9-9 एम्पीज का सूबा न रहे। अगर बड़े रहोगे तो बड़े काम कर पाओगे, लेकिन छोटे रहोगे तो छोटे ही काम कर पाओगे, जिसका नमूना अभी देखने को मिला। राव वीरेन्द्र सिंह बिलकुल फेल्योर चीफ़ मिनिस्टर रहे, वह वहां की गवर्नमेन्ट को ठीक तरह से नहीं चला सके। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए हरियाणा की जनता से अपील करता हूँ कि अगले चुनाव में इनमें से एक भी न लौटने पावे।

श्री रामाबतार शास्त्री (पटना) : सभा-पति महोदय, मैं आपके सम्मुख हरियाणा के सम्बन्ध में कानून बनाने का जो अधि-कार राष्ट्रपति को सौंपने का बिल पेश है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यों तो आप जानते हैं कि हरियाणा समेत सम्पूर्ण भारतवर्ष पर पिछले लगभग 20 वर्षों से, 15 अगस्त, 1947 से लेकर 1967 के मार्च-अप्रैल के प्रारम्भ तक पूरे हिन्दुस्तान में कांग्रेस सरकार की इजारे-दारी रही, कांग्रेस का एक-छत्र राज्य रहा और उस एक क्षत्र राज्य रहने के बावजूद 20 वर्षों में हरियाणा समेत तमाम जगहों में कांग्रेस की हुकूमतों ने हिन्दुस्तान के अन्दर किसानों को जमीन देने के बजाय, मजदूरों की दिक्कतों को दूर करने के बजाय, हिन्दुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय, हिन्दुस्तान में जनतन्त्र की जड़ें मजबूत करने के बजाय, जनता पर हमला किया, गोलियाँ चलाई। किसानों को दबाया, मजदूरों को दबाया। इन का काला इतिहास, काला कारनामा 20 वर्ष तक जनता बड़े सब्र के साथ देखती रही। लेकिन 1967 का जब चुनाव आया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो लम्बे-लम्बे वायदे किये थे, जम्बी-लम्बी बातें कही थीं कि वह बाघ मारेंगे, वह सिंह मारेंगे, उनके तमाम वायदे झूठे निकले। उन्होंने जनता को दबाया और हिन्दुस्तान में पूंजीवाद को विकसित किया। उन्होंने हिन्दुस्तान में जनतंत्र को कमजोर किया इस बात को जनता ने अपने अनुभव से सीखा और उस चुनाव को आधार बना कर 1967 के चुनाव में हरियाणा समेत 9 सूबों में से कांग्रेसी राज्य का खात्मा किया, कांग्रेस की इजारेदारी को खत्म किया, कांग्रेस के एकछत्र राज्य को खत्म किया।

18 hrs.

1957-58 में पूरे हिन्दुस्तान में कांग्रेस का एकछत्र राज्य था, कांग्रेस की शासन व्य-

वस्था यहां पर थी। उस समय केवल एक केरल राज्य ने उनके अन्दर सुराख किया। उनकी इजारेदारी को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन उन कांग्रेसी शासकों ने जो जनतंत्र का दम भरते हैं लेकिन दिन रात उसका विरोध करते हैं, उस सरकार को तमाम प्रतिगामी और देशविरोधी शक्तियों से एकता करके खत्म किया। लेकिन 1967 आखिर 1967 ही है। इसलिए सन् 57 की बात 1967 में नहीं चल सकती। सन् 1967 में हिन्दुस्तान के 9 सूबों में कांग्रेस विरोधी सरकारें बनीं, बंगाल के अन्दर, केरल के अन्दर, हरियाणा के अन्दर पंजाब के अन्दर, बिहार के अन्दर और उत्तर प्रदेश के अन्दर, इन तमाम क्षेत्रों में, इन तमाम राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनीं। आप जानते हैं सभापति महोदय कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को केवल 36 फ्रीसदी वोट मिले, 64 फ्रीसदी वोट कांग्रेस विरोधी शक्तियों को मिले और उन्हीं लोगों ने मिल कर इन 9 सूबों में संयुक्त गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना की। यह दुःख की बात है कि 36 फ्रीसदी वोट पाने वाली कांग्रेस आज हमारे देश के सीने पर बैठी हुई है और जबरदस्ती बैठ कर हिन्दुस्तान में जनतंत्र को दफना रही है, जनतंत्र को खत्म कर रही है। यह स्थिति आज बनी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब 9 सूबों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनीं, केरल के अन्दर, बंगाल के अन्दर, बिहार के अन्दर और उत्तर प्रदेश आदि के अन्दर और पूंजीपतियों पर, सरमायेदारों पर, जमींदारों पर और जमीन मालिकों पर जब चोट पड़ने लगी तो उन लोगों ने गुहार मचाया, हल्ला मचाया। कांग्रेसी आकाशों को आवाज दी कि आइये हमें बचाइये, हमारी रक्षा कीजिये वरना हम खत्म हो जायेंगे। उसी समय से इन लोगों ने जो जनतंत्र विरोधी हैं, जो जनतंत्र को दफनाना चाहते हैं और देश के अन्दर फासिस्ट ताकतों को बढ़ावा देना चाहते हैं। गैर कांग्रेसी सरकारों को

तोड़ने की चाल अपनाई, नीति अपनाई और उसके परिणामस्वरूप हरियाणा की सरकार को उलटा गया जबकि वहाँ गैर-कांग्रेसी सरकार बनाने वालों का बहुमत था। बंगाल में क्या किया गया ? आप का सूबा है, आप जानते हैं कि आज वहाँ क्या और किस तरीके से अत्याचार चल रहा है। पंजाब में क्या हुआ आप जानते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि कल हमारे इस सदन के अन्दर गृह-कार्य मंत्री ने यह बतलाया था, कि अगर बंगाल के लोग विरोधी दल के लोग असेम्बली बुलाने का तैयार हो जायें तो हम उनके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन यह तो नहीं होना चाहिये कि वहाँ के लिए एक नीति रखें और हरियाणा के लिए दूसरी नीति रखें। हरियाणा में क्या बात थी ? हरियाणा के अन्दर राव वीरेन्द्र सिंह के मंत्रिमंडल को बहुमत प्राप्त था। तो यह आपको कैसे मालूम हो गया कि उनका बहुमत नहीं रहा ? आचाराम और गयाराम के आधार पर आपने इस तरीके से एक ऐसी नीति अपनाई। आपका फर्ज था कि आप पहले वहाँ असेम्बली को बुलाते। अगर आप ईमानदार हैं तो बंगाल में जो बात आप करना चाहते हैं अभी हरियाणा में भी वही कीजिये। पुरानी असेम्बली बुलाइये और उसमें अपनी ताकत की अजमाइश कीजिये। कि आपकी ताकत है या गैर कांग्रेसी सरकार की ताकत है ? यह आप करना नहीं चाहते और आपका स्वार्थ यही है कि वहाँ की सरकार को खत्म करके राष्ट्रपति शासन लागू करो। बंगाल के अन्दर आपकी नीति वह नहीं है और आपने दल-बदल करने वालों को मिला करके वहाँ के अंग्रेज मालिकों की हिफाजत में अंग्रेजी पूंजीपतियों की हिफाजत के लिये बड़े बड़े लोगों की हिफाजत के लिए वहाँ की सरकार को नहीं चाहते थे। संयुक्त मोर्चे की सरकार को, अजय मुखर्जी की सरकार को आप नहीं चाहते थे। इसीलिये आप ने वहाँ 16-17 की तादाद में रहने वाले आचाराम और गयाराम लोगों की सरकार बनाई।

वहाँ क्या स्टैंडर्ड है ? हरियाणा में एक है, बंगाल में दूसरा और पंजाब में तीसरा है। पंजाब में भी आपने क्या किया ? अगर आप जनतंत्र के प्रेमी हैं तो आपकी नीति सब जगह एक होनी चाहिये। इन पूंजीपतियों की हिफाजत के लिए, हिन्दुस्तान के अन्दर पूंजीवाद के विकास के लिये, जनता के आन्दोलनों को कुचलने के लिये, किसानों को बेजमान रखने के लिये आप तरह-तरह की नीतियाँ अपना रहे हैं। बिहार में आप क्या कर रहे हैं ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज आप अलग-अलग जगहों के लिए अलग-अलग नीतियाँ अपना रहे हैं, हरियाणा में दूसरी, बंगाल में तीसरी, पंजाब में चौथी और बिहार में पाँचवीं।

बिहार में क्या स्थिति है ? आप जानते हैं कि बिहार में आपने शोषित दल के नाम से एक ऐसा दल पैदा करवाया। आप सीधे नहीं आ सकते थे शासन में। जनता आपको नहीं पसन्द करती। जनता आपसे घृणा करती है, जनता आपसे नफरत करती है। कांग्रेस का नाम सुन कर के उसका दिमाग नाराज हो जाता है। क्रोध से जनता पागल हो उठती है। इसलिये अपने शोषित दल को शिखंडी बना कर और उस शिखंडी को आगे चढ़ा कर अब आप अपनी सरकार वहाँ भी कायम करना चाहते हैं और वहाँ इस तरीके की नीति अपना कर के वहाँ की सरकार को फिर उलटना चाहते हैं। लेकिन केरल में आपको कोई शिखंडी नहीं मिल सकता। केरल की जनता बहुत आगे है। केरल की महान जनता, बहादुर जनता, चेतना वाली जनता, जिसकी बगं चेतना आगे स्तर पर बढ़ी हुई है वहाँ, आप यह काम नहीं कर सकते लेकिन जहाँ बहुत पिछड़ापन है, जहाँ राजनैतिक चेतना कम है, वहाँ इस तरीके की बात आप कर रहे हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर जनतंत्र के आप प्रेमी हैं, जनतंत्र को बचाना चाहते हैं, हिन्दुस्तान को फासिज्म

की मोद में नहीं ठकेलना चाहते हैं, हिन्दुस्तान के अन्दर हमारी महान सभ्यता, संस्कृति को, किसानों को और मजदूरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपका यह फर्ज है कि आप जितने गैर जनतांत्रिक तरीके अपना रहे हैं उनको खत्म कीजिये। हरियाणा में भी वही कीजिये। वहाँ की जनता को मौका दीजिये। वहाँ की असेम्बली को मौका दीजिये।

वहाँ कैसी शासन व्यवस्था होगी; आपको पसन्द न हो लेकिन वहाँ जनता तय करे इसलिये फौरन वहाँ चुनाव करवायें और फैसला हो जाय कि किसके साथ जनता है मैं अपने भाई शिव नारायण जी से भी यह कहना चाहता हूँ कि आइये, आन्दोलन कीजिये, चुनाव जल्दी हो। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

श्री भोलानाथ (अलवर) : सभापति, महोदय, हरियाणा का जिक्र कल से शुरू हुआ है। हरियाणा, राजस्थान के बोरडर पर राजस्थान की सीमा पर, राजस्थान के बहुत से हिस्सों में घुसा हुआ है। इसलिये राजस्थान के लोग भी जो हरियाणा में गतिविधि चलती है या राजस्थान में जो गतिविधि चलती है उसको हरियाणा वाले बराबर पूरी दिलचस्पी से देखते हैं और उनकी दिलचस्पी केवल इस बात में नहीं है कि वहाँ का राजनीतिक वातावरण क्या रहता है बल्कि इस बात में भी दिलचस्पी है कि वहाँ के विकास का कार्य किस प्रकार से चलता है ?

कल साहिबी नदी का जिक्र आया था। यह कहा गया है कि राजस्थान और खास तौर से अलवर जिला जो हरियाणा से मिलता है और गुड़गांव का बहुत सा हिस्सा मिलता है, उसका पानी हरियाणा में आता है और फिर हरियाणा से दिल्ली में आता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि राजस्थान वाले भी दुःख पायें, हरि-

याणा वाले भी पायें और सारा विकास का काम जो चलना चाहिये वह रुक जाए और राष्ट्रपति के शासन का जो समय है वह बेकार चला जाए। प्रजातंत्र का जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा समय-समय पर जनता के प्रिवेंसिस को, जनता की शिकायतों को, जनता के अभाव अभियोगों को आप के सम्मुख जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा रखा जाता है। अगर उससे कोई महसूस रहे तो विकास का जो समय गुजरता है वह गुजरता ही चला जाएगा। यह बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार जो सलाहकार समिति बनाई जा रही है उसका हम पूरा समर्थन करें।

दस मास तक राव वीरेन्द्र सिंह की हकूमत रही। सारा हिन्दुस्तान जानता है और मैं भी हरियाणा का पड़ोसी होने के नाते जानता हूँ कि किस तरह से वह हकूमत रही है। आया राम और गया राम की बात तो सब जानते हैं। लेकिन ज्यों ही उन्होंने शासन सम्भाला राव साहब ट्रकों को ले आते थे और स्कूलों का जो फर्नीचर होता था उसको उनमें भर कर ले जाते थे और उन स्कूलों को वह बन्द करवा देते थे। जहाँ पहले निहास सिंह जी ने स्कूल खोले और हम से मिल कर के बात करके खोले उन स्कूलों को बन्द करने के लिये राव वीरेन्द्र सिंह ट्रकों अपने साथ ले जाते थे और उनका फर्नीचर तक उठा लाते थे और स्कूलों को उन्होंने बन्द करवा दिया। सरपंचों ने इस तरह के स्कूलों के नाम हम लोगों के सामने रखे हैं और उन्होंने कहा है कि कैसी यह सरकार है, दिल्ली की सरकार के नजदीक ही हरियाणा लगता है लेकिन फिर भी दिल्ली की सरकार इतने जुल्म और ज्यादतियों होने दे रही है। आपस में अगर पोलिटिकल डिफ्रेंसिस है, राजनीतिक मतभेद हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि विकास के कामों को रोक दिया जाय। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी ओर ध्यान दें।

कज हमारी डा० के० एल० राव साहब से बात हुई थी। दिल्ली में सरप्लस बिजली है और उस सरप्लस बिजली को अलवर होते हुए राजस्थान में जयपुर तक बढ़ाने की बात थी। लेकिन राव साहब राव बीरेन्द्र सिंह से इतने डरे हुए थे कि यह जो सरप्लस बिजली है यह दिल्ली के अंदर बेकार थी लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि यहां से हाई टेंशन लाइज को हरियाणा के क्षेत्र में से होकर राजस्थान तक पहुंचाने के लिए उनसे कहें। हाई टेंशन लाइज को बिछा देने के लिए न हरियाणा के पास इंतजाम है और न हरियाणा की सरकार उसको समर्थन देती है और इस कारण से राजस्थान सरकार सुस्ती की तरफ जा रही थी। राजस्थान जो न केवल मवेशियों के कारण प्रसिद्ध है, दूध के कारण भी मशहूर है, बैलों और सांड़ों के लिए भी मशहूर है, वहां पर अगर बिजली पहुंच जाती है तो बहुत से कुओं को बिजली मिल सकती थी और सिंचाई की व्यवस्था हो जाने से पैदावार बढ़ सकती थी। लेकिन वहां पर बिजली का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। हरियाणा का विकास न होने के कारण राजस्थान के ऊपर भी बहुत बुरा उसका असर पड़ा। हाई टेंशन लाइज को न बिछाने के लिए कई तरह के बहाने किये गये। कहा गया कि हाई टेंशन के खम्भे इसलिये नहीं गाड़े जा रहे हैं कि नदियों के बहाव को रोकने में हरियाणा असमर्थ है, हाई टेंशन लाइज के खम्भे गाड़े गए तो बहुत भारी खर्चा आएगा और शायद लाइन टूट जाएगी। इस तरह के बहानों से सारे विकास के कामों को रोका गया। इसका असर राजस्थान पर भी पड़ा।

विकास के कार्यों को पूरा करने के लिये बहुत आवश्यक है कि हम एक यह समिति बनायें जो बराबर वहां के विकास कार्यों की देखरेख करे जब तक कि वहां चुनाव नहीं हो जाते हैं। राष्ट्रपति शासन में विकास कार्यों को रोक कर प्रजा को दंड नहीं दिया जाना

चाहिये। आया राम और गया राम को आप सजा दें। जो डिफिकल्टेंस थे उनको आप सजा दें। एम० एल० एज० को जो अपने-अपने घरों में बैठ गए हैं उनको आप सजा दें। लेकिन विकास के कार्यों में आप किसी तरह की बाधा उपस्थित न होने दें। राष्ट्रपति के पास शक्ति आई है। गवर्नर बैठे हुए हैं। उनके साथ एडवाइजर लगे हुए हैं। उनका कर्तव्य है कि हरियाणा के विकास के लिए सक्रिय कदम उठाएं। आपसी लड़ाई के कारण स्कूल जैसी चीजें भी बंद हो गई थीं। उनकी तरफ आप ध्यान दें। विकास के कार्यों को जो श्रम आपके हाथ में आ गए हैं आप तेज करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का हादिक समर्थन करता हूँ।

SHRI SRINIBAS MISRA (Cut-tack) : While opposing this motion, I will first of all make a reference to the circumstances under which this Bill has been introduced and is now under consideration. The Proclamation promulgated by the President was on the report of the Governor. It has been contended by some members here that the President found on a report from the Governor that there was a breakdown of the constitutional machinery. What was the report? It was that 40 members were supporting the Ministry in a House of 73. So it had the support of the majority. Still it was found that the allegiance of the members was very suspicious. On a suspicion of defection, the Legislature was dissolved and the Ministry dismissed. This brings in a new factor into our constitutional set-up. The position in West Bengal is different. There the constitutional machinery has come to a standstill by some ruling of the Speaker, by something that has happened there. The legal brains of the country are now being exercised in finding out whether there is a way out or not. But in Haryana on a suspicion of defection, the Legislature has been dissolved. Can suspicion be an element in this affair? Suspicion of whom? Of the Governor.

The Governor is a creature of the Home Ministry. There is no doubt about it.

SHRI D. C. SHARMA : No.

SHRI SRINIBAS MISRA : On that the President takes a decision. The decision taken by the President is that of the Home Ministry here. So on a suspicion by the Home Ministry that there will be defections, or to put it in another way, there is defection potential, dissolution of the Haryana Assembly is ordered. May I ask : is the defection potential everywhere in all these Assemblies and here in this House also any the less ? Can the President or the Home Ministry say that the defection potential in such and such Assembly having become greater, therefore it will be dissolved ? That brings in a subjective element which cannot be verified by anybody. So my submission is that the dissolution of the Assembly was not based on correct constitutional principles.

SHRI D. C. SHARMA : Report of the Governor.

SHRI SRINIBAS MISRA : I will come to that.

The condition of Haryana has to be seen to find out under what circumstances this bit of legislation is being introduced. In Haryana, there are contending parties. Legislators have been crossing the floor five times and six times. A new party has now started functioning there. Election is in the offing. So the parties must be trying to get hold of something, or some office, to get advantage to cut other parties down to size. Under these circumstances, powers have been assumed by the President under art. 356. Under the Constitution, the power of making laws for the State has been assumed by him on behalf of Parliament. This legislation has been introduced to delegate that power to the President under art. 356.

This raises the question : are the Government very sincere in their profession that election will be held soon ?

If that is so, if election is going to be held, I am not concerned with whatever be the result. Of course, the hon. Member, Prof. Sharma, said that the Congress should be preserved. Let the Congress come, let the Jan Sangh come; let any party come. But is the election going to be held soon ? If that is so, is there any necessity for bringing this Legislation ? It appears, there is a suspicion at least, that the Government intends to put off the mid-term election in Haryana for a long time. However, when there is a declaration, some arrangement has to be made. Either Parliament should pass legislation for Haryana or the power has to be delegated to the President.

I will not refer to the heroic deeds of the past and the present soldiers of Haryana, the glory of the farmers of Haryana, its bullocks and bulls, its production, but I will refer certainly to Mr. Sharma's statement that Haryana has produced great men. On this particular occasion, as has been agreed by everybody, Haryana did not return great men, it returned some persons who crossed the floor and betrayed the faith placed in them by the electors. With all my respect to the people of Haryana, I am sorry that the persons elected by them made the Government there unstable.

What are the temptations now ? Both sides are attempting to be in power. We have seen the attempts in Rajasthan, Madhya Pradesh, Bengal, Bihar and U.P. Constant attempt is going on. If the power is given to the President, the Home Minister will exercise it. Being party men, when the temptation is so great, even if they do not interfere, they are liable to be accused of having interfered in the elections or manoeuvring in the State. Do the people who man the Home Ministry feel strong enough to check this temptation ?

An example of this temptation has been evident in this House, when an hon. member said that the Congress must be preserved. Others here say that the Congress must be preserved in cold storage or in a museum. With these

[Shri Srinibas Misra]

two contrary views regarding the Congress, will the Ministers who man the Home Ministry be able to check their temptation to interfere, manoeuvre here and there, spend money for supporting a particular party? That is the question? I would appeal that they should not take upon themselves this responsibility indirectly. They should leave to Parliament if any business is to be transacted.

There has been a reference to Mr. Goel. He is a new member. I am also a new member. Let it not be said that new members are unimportant.

MR. CHAIRMAN: Leave it to Mr. Goel himself.

SHRI SRINIBAS MISRA: I have given an amendment to this.

MR. CHAIRMAN: That will come later.

SHRI SRINIBAS MISRA: If the Government wants to take power because it is necessary for transacting business with respect to Haryana, I would request them not to take powers under List III, because that will create an anomalous situation so far as President's powers are concerned. I will speak on that while moving the amendment.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री (बागपत) : सभापति महोदय, जब इस सदन में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी, उस दिन भी मैंने कहा था और आज मैं उसको दोहराता हूँ कि चाहे वैधानिक बारीकियों का कुछ भी अर्थ लगाया जाये, चाहे राजनीतिक पक्ष कुछ भी कहें, लेकिन अगर जनता की दृष्टि से देखा जाए और यदि जनता की बात पूछी जाये, तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करना जैसे जनता की मांग को पूरा करना है।

18.25 Hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair] मैं समझता हूँ कि जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हरियाणा में चल रहा था, इसके अतिरिक्त

उसका और कोई इलाज नहीं था। हरियाणा में जो कुछ हो रहा था, वह डेमोक्रेसी के नाम पर एक कलंक था। अगर कोई राक्षस देवता का वेश बना कर आ जाये और हम से कहा जाये कि उसको प्रणाम करो, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम उस राक्षस को देवता कैसे समझ लें। मैं समझता हूँ कि हरियाणा में यही हो रहा था।

अगर वहाँ पर एसेम्बली भी बुलाई जाती, जैसाकि आमतौर से कहा जाता है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि उसमें शाम को एक निश्चय होता और दूसरी सुबह उस निश्चय को बदल दिया जाता, क्योंकि जो सदस्य शाम को एक तरफ़ वोट देते, वे दूसरी सुबह दूसरी तरफ़ वोट देते और फिर छः महीने के लिए छुटी हो जाती। इसलिए एसेम्बली बुलाना कोई इलाज नहीं था।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि गव वीरेन्द्रसिंह जिस रास्ते पर चल रहे थे, उसकी जितनी भी निन्दा की जाये, वह थोड़ी है। परन्तु मैं कांग्रेसी सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि अगर वे अपने गरेवान में मुंह डाल कर देखें, तो वे इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि राव वीरेन्द्रसिंह मिनिस्ट्री की आलोचना करना उन्हें शोभा नहीं देता है। राव वीरेन्द्रसिंह तो संयुक्त मोर्चे के चीफ़ मिनिस्टर थे, लेकिन उन से पहले कांग्रेस के चीफ़ मिनिस्टर के क्या कारनामे रहे? आज कांग्रेसी सदस्यों में यह हिम्मत होनी चाहिए कि अगर वे राव वीरेन्द्रसिंह की बुराई करें, तो उसके साथ ही वे भगवतदयाल के कामों को भी देखें। अगर केन्द्रीय सरकार और कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि हरियाणा में जो बुरा और भ्रष्टाचारी शासन था, उसके स्थान पर एक शुद्ध, ईमानदार और कुशल व्यवस्था कायम की जाये, तो एक कमीशन बिठाया जाये, जो वहाँ के राजनीतिक भ्रष्टाचार और बेईमानी के बारे में जांच करे और हरियाणा में जितने भी बेईमान हों, चाहे वे कांग्रेसी पार्टी के हों और चाहे विरोधी पार्टियों के,

उनको जनता के सामने खड़ा करे। वहां पर स्थिति यह है कि अगर एक ने पचास लाख कमाया है, तो दूसरे ने एक करोड़ कमाया है। अगर केन्द्रीय सरकार चाहती है कि वह हरियाणा की जनता के लिए जो नई व्यवस्था कर रही है, जनता उसको उचित और अच्छी समझे, तो वह अपने कार्य से जनता के दिमाग पर यह प्रभाव डाले कि जो एक बुरा निजाम था, उसको बदल कर अब एक अच्छा निजाम आ रहा है।

हरियाणा की पवित्रता के सम्बन्ध में सभी सदस्यों ने कहा है, लेकिन कांग्रेसी शासन के माथे से इस पाप का कलंक नहीं हट सकता है कि भगवतदयाल मंत्रिमंडल ने वहां पर सब से पहले शराब खोली। अकेला यह कार्य ही हरियाणा के कांग्रेसी मंत्रिमंडल की निन्दा के लिए पर्याप्त है। क्या हरियाणा की पवित्र भूमि और पवित्र संस्कार वाले लोगों को भ्रष्टाचारी बनाने के लिए इससे बुरी और कोई हरकत हो सकती है? मैं समझता हूँ कि कांग्रेसी वेंचिज इस अकेली बात का कोई जबाब या स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं।

हरियाणा की जनता को हमेशा जितना अन्याय और दुर्व्यवहार केन्द्र से मिला है, उतना और किसी से नहीं मिला है। इस लिए आज जबकि केन्द्र के हाथ में वहां की सत्ता आई है, तो हरियाणा के लोगों में सन्देश बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए आप चण्डीगढ़ के प्रश्न को ले लीजिए। उसके बारे में सरकार ने एक कमीशन बिठाया। उस कमीशन ने अपना फ़ैसला कर दिया, लेकिन अब सरकार मध्यस्थता की बात कर रही है। मध्यस्थता का क्या प्रश्न है? जब उसने एक कमीशन बिठाया और उसने अपना फ़ैसला दे दिया, तो फिर वह बार-बार उस प्रश्न को क्यों ओपन करती है? अगर चण्डीगढ़ दूसरी तरफ़ चला जाता, तो केन्द्रीय सरकार की कुछ कहने की हिम्मत न होती। आज हरियाणा की जनता को कमजोर समझ कर मध्यस्थता की बात की जाती है। प्रधान मंत्री हों या कोई भी हों, कोई मध्यस्थ क्यों

बनाया जाये? आज मैं केन्द्र सरकार के मंत्रियों से यह आश्वासन चाहता हूँ कि वे स्पष्ट रूप से यह घोषणा करें कि जब तक हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा और जब तक वहां पर कोई जन-प्रतिनिधि सरकार स्थापित नहीं होगी तब तक चण्डीगढ़ के बारे में फ़ैसला नहीं किया जायेगा और अगर कोई फ़ैसला होगा, तो वह शाह कमीशन का फ़ैसला रहेगा।

श्री कमलनयन बजाज : माननीय सदस्य की यह मांग वाजिब है।

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : सरकार की यह जो नीति है कि वह कमीशन बिठाती है और फिर उस कमीशन की रिपोर्ट को उलट देती है और मनमाने ढंग से काम करना चाहती है, उस से देश में कांग्रेस की साख़ खत्म हो गई है। आज महाजन कमीशन की क्या छीछालेदार हो रही है। अगर सरकार कोई कमीशन बिठाती है और वह कमीशन जनता की राय ले कर और समस्या के सब एस्पेक्ट्स को देख कर कोई रिपोर्ट देता है, तो सरकार में उस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने की हिम्मत होनी चाहिये। सरकार को आगे के लिए फ़ैला करना होगा कि या तो वह कोई कमीशन न बिठाए और अगर बिठाए, तो उस की बात पर अमल करे। उस को मनमाने ढंग से काम करने की नीति पर नहीं चलना चाहिए।

आज चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय की छीछालेदार हो रही है। आज कहा जाता है कि उसमें हरियाणा का इतना भाग होना चाहिए, पंजाब का इतना भाग होना चाहिए और हिमाचल प्रदेश का इतना भाग होना चाहिए।

जब आपने चण्डीगढ़ को यूनियन टैरीटरी घोषित किया है तो चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय को यूनियन का विश्वविद्यालय रखिए। आप क्यों एक बने बनाए विश्वविद्यालय की जो कि एक शिखा की सीट है उसकी क्यों छीछालेदार कर रहे हैं? इसलिए उसके सम्बन्ध

[श्री रघुबीर सिंह शास्त्री]

में भी आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि वह केन्द्र का विश्वविद्यालय रहेगा।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि अब जबकि आप जन-प्रतिनिधियों की तथाकथित सरकार को खत्म कर के अपने आप सारे अधिकार ले रहे हैं तो आपको इस प्रकार कार्य करना होगा कि हरयाणे की जनता को यह मालूम पड़े कि जन-प्रतिनिधियों की सरकार वहाँ काम कर रही है। तानाशाही से आपको वहाँ काम नहीं करना है। जैसा मैंने कहा हरयाणा को नई बातों में बड़ा दुर्व्यवहार मिलता रहा है। जैसे सविसेज की बात है, हरयाणा के लोग जब अलग होना चाहते थे तो उनकी सब से बड़ी वेदना यह थी कि हमारे लोगों को सविसेज नहीं मिलती। जब विभाजन हुआ तो विभाजन में भी बाहर से ही लोग वहाँ आये हैं और आज भी मुझे मालूम हुआ है कि पी० सी० एस० से कुछ लोग आई० सी० एस० बनाए जा रहे हैं, उसमें शायद हरयाणे का कोई आदमी नहीं है। यहाँ केन्द्रीय मिनिस्ट्रीज में भी जबकि और सब प्रान्तों के लोग हैं हरयाणा का कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आप हरयाणा से क्यों नहीं लेते ?

एक बात अंत में मैं और कहना चाहता हूँ जिसका सम्बन्ध मेरे अपने क्षेत्र से भी है कि हरयाणा की सिंचाई का जहाँ तक सम्बन्ध है भाखरा का बहुत थोड़ा पानी हरयाणा में आता है। ज्यादातर सिंचाई यमुना की नहरों से होती है। यमुना की नहरों में पानी बहुत कम हो गया है उसके लिए किसानों का बांध एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। अब जबकि केन्द्र के हाथ में यह बात आई है तो मैं यह कहूँगा कि किसानों का बांध की योजना को तीव्र करना चाहिए। हरयाणा की जनता यह देखना चाहती है कि उसकी नहरों में ज्यादा से ज्यादा पानी हो जाय। अगर यह किसानों का बांध जल्दी से जल्दी पूरा हो जाय तो हरयाणे की जनता यह समझेगी कि केन्द्रीय

सरकार ने उसके लिए कुछ अच्छा काम किया है। हम आशा करते हैं कि आज जब केन्द्र के हाथ में यह शासन आया है तो जनता में विश्वास पैदा होगा, जनता में व्यवस्था की भावना पैदा होगी और शांति और सात्वना की भावना जो मिली है, उसकी वृद्धि होगी।

SHRI K. S. RAMASWAMY : Sir, in the course of the spirited discussion, I heard three kinds of speeches. One is with regard to the circumstances that led to the proclamation of President's rule. The other is the implementation part of this Bill, what the committee should do. The third is about the provisions of the Bill itself.

I need not repeat what has been said about the circumstances leading to the proclamation. As Mr. Randhir Singh and Mr. Sharma said, Haryana has produced brilliant people like Lala Lajpat Rai and others. All glory to them. Now they have got an opportunity, when the committee is formed, to contribute their rite.

Shri Shashi Bhushan referred to the social and economic backwardness of the Harijans. Mr. Bharati mentioned about water shortage and felt the need for a dam there. The development of Haryana can take place no doubt better when the Assembly is there, but during the short period when this committee meets. I am sure the hon. members will definitely make their contribution directly for the improvement of Haryana. I only wish that in their anxiety to do this they may not wish for the prolongation of this rule. When I say this I also include the Members of the Opposition.

Coming to the Bill, Sir, hon. Members, Shri Goel, Shri Viswanathan and Shri Misra asked why there should be this Bill and why there should be a committee. As explained in my opening speech, there are certain ordinances which are going to contribute more to the revenue of Haryana and they have to be enacted in Parliament. Parliament, as you know, has no time to pass these legislations. So we felt the need for this committee. This committee is going to consider all of them and place

them before Parliament. Hon. Members can then suggest amendments and make their suggestions at that time. That is why we have come forward with this Bill.

Hon. Member, Shri Viswanathan referred to the proviso to sub-clause (2) of clause 3. He said that the President should consult the Consultative Committee at all times and asked why there should be the words "whenever he considers it practicable to do so". This is only to provide for any contingency. Hon. Members come from different places. Suppose there is no quorum, what are we to do? There may be immediate necessity to have a legislation. This is only an emergency power. We have got the word 'shall' which is mandatory and President shall definitely consult this committee whenever it is not impracticable. This Consultative Committee is a miniature parliament where different shades of opinion are represented.

SHRI RANDHIR SINGH : It will be Haryana Assembly.

SHRI K. S. RAMASWAMY : Really speaking it will be so. When all Members of Haryana are there it will be a miniature assembly with more consultative powers. I hope that all sections of the House agree with me that such a Bill is necessary. I commend my motion.

SHRI RANDHIR SINGH : I requested the hon. Minister to say something about the teachers who are on strike. Two lakh people are involved.

SHRI K. S. RAMASWAMY : You are a member of the committee and you raise it there.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member has put it before the House. It will be taken note of by the committee. The question is :

"That the Bill to confer on the President the powers of the Legislature of the State of Haryana to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take the Bill clause by clause. There are no amendments to clause 2. The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 (Conferment on the President of the power of the State Legislature to make laws)

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are some amendments to clause 3.

SHRI SRINIBAS MISRA : Sir, I beg to move :

Page 2, line 2,—

after "laws" insert—

"except with respect to matters enumerated in List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India" (5)

Page 2,—

for lines 20 to 22,—*Substitute :*

"(3) Every Act enacted by the President under sub-section (2) shall be laid before each House of Parliament within a week from the date of the enactment if the Parliament is in session, and within a week from the date of the first sitting of the Parliament after the enactment if the Parliament is not in session at the time of the enactment." (6).

By my amendments I have tried to restrict the delegation of powers to matters referred to in List III of the Seventh Schedule. Why? Because, under article 254, whenever the State Legislature passes an Act, if it is inconsistent with any Act passed by Parliament, it will not be operative to the extent of its conflict. But, if the Act of the State Legislature gets previous permission from the President, it will operate in that limited field. So, here when the President passes an Act as President's Act, which comes into conflict with an

[Shri Srinibas Misra]

Act of Parliament, if the President has given previous permission for the passing of the Act, then that Act will operate in Haryana as against the Act of this Parliament. This raises the question of impropriety and inconsistency because, in the peculiar circumstances in Haryana, List III, in respect of which this power will be exercised, refers to such things as "Preventive detention for reasons connected with the security of a State, the maintenance of public order, or the maintenance of supplies and services essential to the community; persons subjected to such detention". It is very likely—I have nothing to speak about the Ministers who are carrying out this, but there will be a reasonable suspicion—that these functions can be exercised by the Ministers to oppress the opposition parties who are fighting against the ruling party here. There is a possibility. Why should the Minister take that burden, that odium of having exercised the powers, the powers which the President took over after a proclamation under article 356? Why should they take the responsibility? So, I would request them not to press for it. After all, these are meant to cover a short period. Very soon there will be elections. If matters connected with List III, if they reserve them to be passed by Parliament, they will at least save that odium, because it is also improper in the sense the same person will give the permission and pass the other Act by giving his assent. It is improper.

The party which is in power, which was in power there previously, it is an old party, and that old party still hankers after power, like any other political party. It is natural. But that hankering is so great in the old party. Sir, I hope you will remember the words :

वृद्धस्य अनपत्यस्य विघ्नवायाम् बहुव्रुत :

It is so great that they are liable to commit this error. They are also liable to criticism by the public of misuse of power. So, I would request them not to press for subjects enumerated in List III.

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbli) : I want to say something on the point raised by Shri Srinibas Misra.

MR. DEPUTY-SPEAKER : His point is valid only for the brief six weeks when Parliament will not be in session. Because, once Parliament is in session everything will come before Parliament.

SHRI K. NARAYANA RAO : Shri Misra has raised quite an interesting constitutional point. Under article 254(2), according to his contention, a law made by the State can also prevail in the concurrent field over the law made by Parliament, provided it had been reserved for the President and the assent of the President has been obtained. In this particular case, there is an anachronism in the sense that it is essentially a Presidential Act with the result that, according to what Shri Misra has stated, it looks as though the Presidential Act under the delegated powers, if such an Act comes into conflict with any Parliamentary Act, it would appear that the State Act (the Presidential Act in this case) would prevail over the Parliamentary Act. This is his contention. I submit that such a situation may not arise. If he reads carefully article 254(2), only when a law has been passed by the State Legislature—that is very important to note, that a Bill has been passed by the State Legislature—and if such a Bill has been reserved for President's consent and if the President under such circumstances has given his assent, then such a State Act would prevail over the Parliamentary Act. In the present circumstances such a situation would not arise. Therefore, the apprehension expressed by Shri Misra appears to be unfounded.

Then, with your permission, Sir, here I would like to add a few observations with reference to the present clause before the House. We are delegating *carte blanche* all the powers which have been conferred on Parliament to the President. It is not a small matter that we should take very lightly. It is an important matter. Of course, the Constitution has provided for the delega-

tion of these powers by Parliament to the President.

If you carefully look into the scheme of the constitutional provisions, under the emergency powers first the President confers these powers on the Parliament through the Proclamation. It is the Proclamation that gives the power to Parliament to enact laws in respect of the State List. Now, by this Act we are throwing the shuttlecock or the ball again to the President. This is what is called *renvoi*, a reference back. I do not mind it; has been provided in the Constitution but in doing that what is the safeguard which has been reserved in this Bill; what is the nature of the conditions which have been provided in the Bill? The simple condition is that a committee consisting of so-and-so may be constituted. There is no compulsion on the part of the President to refer each and every Act to the committee.

I draw your attention to the parenthetical clause which says :—

“whenever he considers it practicable to do so”.

About the subject of satisfaction I have no grievance. Of course, there may be some very innocuous Acts which may require the consultation with the committee, but there may be very important matters also which may require consultation. An innovation has been brought about in this particular Bill. Hitherto in legislative drafting we came across with the wording, “considers it necessary”, but in this particular Bill we see the word “practicable”.

What is the significance of the word “practicable”? What is the importance of this? A Bill may be very important but it may not be practicable according to the opinion of the President to consult the committee. Therefore I am quite unhappy about the use of the word “practicable”. I would rather recommend that instead of the word “practicable” the word “necessary” should be substituted.

Then, the committee contemplated in this Bill is only for consultation pur-

poses. As the hon. Minister has rightly and correctly said, this committee is a miniature Parliament. In referring to this committee in this particular Bill we should not stop merely at consultation. I rather wish that it should be with the concurrence of the committee. That is more important than mere consultation. Therefore I will submit that the concurrence of the committee instead of the consultation with the committee should be there.

One more word. About modifications by Parliament, we should not stop with modification alone. Here again, there is a departure from the normal process of delegated legislation. Why should we stop short with modification? Why can power be not given to Parliament to repeal the Act, even may be a Presidential Act? Therefore I submit that here again we should add that Parliament should have the power to repeal a particular Act referred to it, Presidential Act also, and not merely confine itself to modification.

SHRI SRINIBAS MISRA : Article 357 says :—

“Where by a Proclamation issued under clause (1) of Article 356, it has been declared that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament”.

Therefore, whatever is passed by the Legislature and by the President is an Act of Legislature.

SHRI K. S. RAMASWAMY : I have already explained why this proviso, namely, “whenever he considers it practicable to do so”, is adopted here.

SHRI RANDHIR SINGH : Expound “practicable”.

SHRI K. S. RAMASWAMY : It is only a contingency provision. And, when all the Acts passed will be placed before Parliament, Parliament can definitely have its say. So, there is no question of bypassing Parliament any time. With regard to the other point about the powers, I want to say that the State Legislature powers are defined in Arti-

[Shri K. S. Ramaswamy]

clause 246 of the Constitution in respect of the Concurrent List as follows :

"(2) Notwithstanding anything in clause (3), Parliament, and, subject to clause (1), the Legislature of any State also, have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List III in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the 'Concurrent List')."

The delegation to the President proposed in the Bill is only in connection with powers of the State Legislature. There should be no apprehension that the powers of the Parliament itself of enacting laws under List III of the Seventh Schedule would also be exercisable by the President by virtue of this delegation by the Parliament. There is also no point in restricting the delegation merely to List II since the full exercise of the functions of the State Government may from time to time require legislation on the subjects in List III.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put Amendments Nos. 5 and 6 moved by Shri Srinibas Mishra to the vote of the House.

Amendments Nos. 5 and 6 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI K. S. RAMASWAMY : I move :

"That the Bill be passed."

SHRI S. C. SAMANTA (Tamluk) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I lodge my

protest against the procedure that has been adopted by the Home Ministry as regards this Bill. In the order paper, we find Mr. Y. B. Chavan was to pilot this Bill. But he is absent. The Minister of State who came here also disappeared. Then, it has fallen on the shoulders of the Deputy Minister to pilot the Bill. It may be said that the Deputy Minister is a Minister and he can do so. I admit it. But a prior permission of the Speaker should be taken. Though you kindly allowed him to pilot the Bill, he did not say, "On behalf of Mr. Y. B. Chavan, I am piloting the Bill." So, this is a bad procedure and I lodge my protest against it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Usually, that formality is observed and I take it that is observed.

SHRI K. S. RAMASWAMY : I moved it on behalf of Mr. Y. B. Chavan.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

18.54 HRS.

MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up the Monopolies and Restrictive Trade Practices Bill.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I rise on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let the Minister first move the motion.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDY) : Sir, on behalf of Shri Fakhruddin Ali Ahmed, I beg to move:

"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide that the operation of the economic system does not result in the concentration of economic power